S.Tr 1002/09

न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम, बाढ़

उपस्थित : वीरेन्द्र कुमार चौबे
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश
प्रथम, बाढ़, पटना

::::आदेश::::

17.06.2026 1. इस वाद के विचारण अभियुक्तगण ब्रिज सिंह, जमिन्दर सिंह, विपीन सिंह, इन्द्रदेव सिंह, संजीत सिंह, टुनेश्वर सिंह उर्फ जुनेश्वर सिंह, रविन्द्र सिंह, राजबल्लभ सिंह एवं कौशलेन्द्र सिंह की ओर से उपस्थिति पत्र दाखिल किया गया है। अभियुक्तगण अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ न्यायालय में उपस्थित हुए। इस वाद में पूर्व की तिथि में अभियोजन साक्ष्य माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के आलोक में बंद किया गया तथा जो बयान हेतू नियत है तथा अभियुक्तगण का बयान धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत लिया गया, जिसमें इन्होंने स्वयं को निर्दोष बताया है।

Statement 17/6/26

Acquitted U/S 232 crpc 17/6/26

2. इस वाद में कुल दस अभियुक्तगण ब्रिज सिंह, जमिन्दर सिंह, विपीन सिंह, इन्द्रदेव सिंह, संजीत सिंह, टुनेश्वर सिंह उर्फ जुनेश्वर सिंह, रविन्द्र सिंह, राजबल्लभ सिंह, कौशलेन्द्र सिंह एवं दयानंद सिंह के विरूद्ध दिनांक 03.08.2017 को आरोप गठन किया गया है। इस वाद के एक अभियुक्त दयानंद सिंह के अनुपस्थित रहने के कारण इनका बंधपत्र खंडित किया गया है तथा इस मूल वाद से इनका वाद पृथक किया गया।

3. अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि यह वाद दौरासुपुदर्गी के उपरांत दिनांक 20.08.2009 को सत्र न्यायालय में विचारण एवं निष्पादन हेतु प्राप्त हुआ। उसके उपरांत दिनांक 03.08.2017 को आरोप गठन किया गया तथा उसके उपरांत अभियोजन को साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु करीब 06 वर्ष का समय दिया गया है फिर भी अभियोजन किसी भी साक्षियों को प्रस्तुत करने में असफल रहे है। जबकि न्यायालय द्वारा डिस्पैच संख्या 102 दिनांक 23.08.2019 के द्वारा साक्षियों के विरूद्ध सम्मन निर्गत किया गया है। डिस्पैच संख्या 979 दिनांक 09.11.2023 के द्वारा साक्षियों के विरूद्ध जमानतीय अधिपत्र निर्गत किया गया है। साक्षियों के उपस्थिति नहीं होने के कारण डिस्पैच संख्या 228 दिनांक 16.06.2025 को अजमानतीय अधिपत्र निर्गत किया गया। अभियोजन के निवेदन पर साक्षियों के विरूद्ध दस्ती सम्मन निर्गत किया गया है। साक्षियों के उपस्थिति हेतु समस्त प्रकिया निर्गत किया गया फिर भी अभियोजन के द्वारा कोई साक्षी को प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसे में यह वाद साक्ष्य विहीन हो जाता है। अभियोजन अभियुक्तगण के विरुद्ध लगाये गये आरोपों को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित कर पाने में विफल रहा है तथा अभियुक्तगण धारा 232 द.प्र.सं. के अंतर्गत दोषमुक्ति के योग्य है।

4. एतद् मैं **ब्रिज सिंह, जमिन्दर सिंह, विपीन सिंह, इन्द्रदेव सिंह, संजीत सिंह, टुनेश्वर सिंह उर्फ जुनेश्वर सिंह, रविन्द्र सिंह, राजबल्लभ सिंह एवं कौशलेन्द्र सिंह** को उनके विरूद्ध आरोपित आरोप अंतर्गत धारा 307/149, 147, 148, 323, 379, 504 भा.द.वि. एवं 27 शस्त्र अधिनियम से साक्ष्य के अभाव में धारा 232 द.प्र.सं. के अंतर्गत दोषमुक्त करता हूँ। उस का बंधपत्र निरस्त कर उसे तथा उसके जमानतदारों को बंधपत्र के दायित्व से भी मुक्त किया जाता है। कार्यालय अभिलेख को अभिलेखागार में नियमानुसार जमा करावें।

(लेखापित / शुद्धित)

Virendra K Chaubey

(वीरेन्द्र कुमार चौबे) 17/6/26

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, बाढ़